अनुलग्नक -I

वेब आधारित ओएम पर सौदा करने की पूरी प्रक्रिया में शामिल चरण

वेब आधारित ओएम पर सरकारी प्रतिभुतियों के खरीद/बिक्री की संपूर्ण प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं (सिलसिलेवार)

- जीएएच एनडीएस-ओएम वेब पर सीधे एक्सेस के लिए पीएम को अनुरोध भेजता है।
- पीएम जीएएच द्वारा केवाईसी मानदंडों के अनुपालन की पुष्टि करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि जीएएच के पास पर्याप्त सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा मौजूद और इस संबंध में वह तैयार है। संतुष्ट हो जाने पर पीएम सीसीआईएल से ग्राहक बनाने और प्रणाली में एक्टिवेशन का अनुरोध करता है।
- सीसीआईएम प्रणाली में जीएएच तैयार कर एक्टिवेट करता है।
- प्रणाली में तैयार होने के बाद , पीएम जीएएच के प्रयोगकर्ता उदाहरण के लिए 'ए ' और 'बी ' बनाता है।
- पीएम जीएएच प्रयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट और ई-टोकन की खरीदता है।
- पीएम जीएएच प्रयोगकर्ताओं का विवरण सीसीआईएल के ऐडमिनिस्ट्रेशन को ऑथरिज़ेशन और डिजिटल हस्ताक्षर ओर टोकन का प्रयोग कर लॉगिन और पासवर्ड निर्माण के लिए भेजता है।
- सीसीआईएल जीएएच प्रयोगकर्ताओं के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड का निर्माण करता है और उसे पीएम को भेज देता है।
- पीएम इस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को अंतिम प्रयोगकर्ता अर्थात जीएएच को भेज देता है।
- पीएम जीएएच और जीएएच के प्रयोगकर्ताओं के लिए जोखिम मानदंडों को तय करता है।
- पीएम अपने ऐडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनल के द्वारा उनके घटकों पर निगरानी/शेष को अद्यतन/ सीमाबद्ध कर सकता है। जीएएच प्रयोगकर्ता एप्लीकेशन का प्रयोग लॉगिन , पार्सवर्ड और ई-टोकन के साथ डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से करता है और आर्डर देता (पीएम द्वारा तय सीमा के भीतर) है।
- पहले से तय जोखिम कंट्रोल के एक बार वेलिडेट हो जाने पर जीएएच द्वारा दिया गया आर्डर मौजूदा एनडीएस-ओम के मुख्य ऑर्डर बुक में अंतत मिल जाता है और एनडीएस-ओएम वर्कफलो में चला जाता है। एनडीएस-ओएम के सफल ऑर्डर निपटान के लिए एसटीपी वातावरण में सीसीआईएल में चला जाएगा।

- जीएएच को पूर्ण रूप से निष्पादित अपने ऑर्डर के लिए स्वाचालित प्रणालीजनित पॉप अप/सूचना प्राप्त होती है। डील टिकट का प्रिंट जीएएच ले सकता है।

वेब आधारित एनडीएस-ओएम प्रणाली का उपयोग करने के लिए परिचालन प्रक्रिया

एनडीएस ओएम एडमिनिस्ट्रेशन =सीसीआईएल ; प्राइमरी मेंबर = एबीसीडी (भारतीय रिज़र्व बैंक के पास इसका सीएसजीएल खाता है।) ; एबीसीडी का जीएएच खाता = एक्सवाईजेड इंडस्ट्रीज़ (आरआईएल ; एक्सवाईजेड के पास इसका गिल्ट और चालू खाता है।) जीएएच उपयोगकर्ता = आरआईएल के प्राधिकृत कर्मचारी क और ख ; खरीद और बिक्री आदेश देने के लिए सक्रीन- ndsind.com

1. सरकारी प्रतिभूतियों के सैंकेंडरी बाजार में एनडीएस-ओएम-वेब का सीधे उपयोग करने के लिए आरआईएल एक्सवाईजेड के पास अनुरोध करती है।

2. एक्सवाईजेड आरआईएल के लिए केवाईसी अपेक्षाओं को पूरा करता है और पर्याप्त आईटी इंन्फ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करता है और संबंधित जीएएच के लिए संगत तैयारी करता है। एक बार संतुष्ट हो जाने के बाद , एक्सवाईजेड सीसीआईएल से प्रणाली में आरआईएल क्लाइंट बनाने का अनुरोध करता है।

3. सीसीआईएल प्रणाली में आरआईएल क्लाइंट बनाता है और उसे एक्टिवेट करता है।

4. एक बार प्रणाली में आने के बाद , एक्सवाईजेड आरआईएल के लिए उपयोगकर्ता बनाता है जैसे ए और बी

5. एक्सवाईजेड आरआईएल के डिजिटल प्रमाणपत्र और ई-टोकन , यदि पहले ही नहीं लिए गए हैं तो , खरीदता है।

7. सीसीआईएल लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करता है और उसे एक्सवाईजेड के पास भेजता है।

8. इसके बाद एक्सवाईजेड लॉगिन आईडी और पासवर्ड आरआईएल को भेजता है।

9. एक्सवाईजेड आरआईएल और उसके उपयोगकर्ताओं के लिए जोखिम मानक निर्धारित करता है। 'सिंगल आर्डर लिमिट (एसओएल) ; प्राइस/यील्ड रेंज निर्धारण , गितविधि नियंत्रण , प्रतिभूति स्टॉक शेष , टर्नओवर सीमा और निधीयन सीमा ' जोखिम मानकों में शामिल होते हैं।

10. आरआईएल उपयोगकर्ता एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं और एक्सवाईजेड द्वारा तय की गई सीमा के भीतर अपने आर्डर(खरीद/ बिक्री) देते हैं। एक्सवाईजेड आरआईएल के आर्डरस् को देख सकता है और यदि वह पाता है कि आरआईएल के पास पर्याप्त निधियां/ प्रतिभूति शेष आदि नहीं है तो वह उन्हें होल्ड/ रद्द कर सकता है।

11. निर्धारित मानक नियंत्रणों का उपयोग करके एक बार उन्हें वैध कर देने पर आरआईएल द्वारा भेजे गए आर्डर एनडीएस-ओएम की मुख्य आर्डर-बुक में आ जाते हैं और एनडीएस-ओएम का वर्कफ्लो आगे का कार्य करता है।

12. डील्स के सफल हो जाने के बाद आरआईएल को स्वत: सिस्टम जनरेटेड पॉपअप/ अधिसूचना प्राप्त होती है। डील्स के टिकटों को आरआईएल द्वारा प्रिंट किया जा सकता है।